

# लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

## फर्द अहकाम

28<sup>10</sup>  
24 पन्नावली पेशा इर। वादी व  
 वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण के  
 वादी व वादी वकील को कार-बार  
 उवाज लगावाये जाने के बावजूद भी  
 वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं हुये।  
 इससे जाहिर है कि प्रकरण के वादी व  
 वादी वकील को जाने सुनाये रखने के  
 कृपि नहीं करा है। अतः अ.सं.  
 162/2013 दावा बामाचार व नाम निशान  
 कदम फरवी व कदम डायिरी के  
 बगलिन विना जाय है।

पन्नावली फेरुल सुमार की जाकर,  
 मन्वरान् से कम करते हुये, दाखिल  
 दफ्तर हो।

आज्ञा : .....  
 आदेश : .....  
 .....  
 .....  
 .....

